कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर

सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या :–01/2017–18 नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सूची के अनुसार निष्प्रयोज्य जीप संख्या–UGI 4457 की **नीलामी दिनांकः–27.07.2017** को नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर में अपरान्ह 2.00 बजे निर्धारित की गई थी परन्तु किसी भी बोलीदाता द्वारा नीलामी में भाग न लेने के कारण जीप की नीलामी नहीं हो सकी। अतः उक्त जीप की नीलामी पुनः दिनाँक–04.01.2018 को अपरान्ह 2:00 बजे से निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जायेगी।

निष्प्रयोज्य जीप संख्या–UGI 4457 केन्द्रीय भण्डार, कैम्पस, बाईबाग पुवायाँ रोड, नलकूप खण्ड शाहजहाँपुर में उपलब्ध है। नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र दिनांक–27.12.2017 से 01.01.2018 तक सुबह 10.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में सहायक अभियन्ता, चतुर्थ, नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर के कार्यालय से निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते है। भरे हुये आवेदन–पत्र निर्धारित धरोहर धनराशि तथा पहचान–पत्र के साथ नीलामी की तिथि को अपरान्ह 12:00 बजे तक खण्डीय कार्यालय में जमा करना होगा।

क0सं0	सामग्री का विवरण	यूनिट	लाट संख्या	धरोहर धनराशि	आवेदन–पत्र का मूल्य	स्थान का नाम/पता जहाँ सामग्री उपलब्ध है।
1	2	3	4	5	6	7
1	जीप संख्या–UGI 4457	01	01	3700.00	100+जी0एस0टी0	केन्द्रीय भण्डार, नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर

नीलामी की मुख्य शर्तेः–

1. धरोहर धनराशि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर के नाम बन्धक तथा शाहजहाँपुर में देय बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट के रूप में देय होगी। जिसे नीलामी स्वीकृत होने पर 25 प्रतिशत धनराशि के रूप में समायोजित कर लिया जायेगा। धरोहर धनराशि जमा किये बिना नीलामी में भाग नहीं लिया जा सकता। धरोहर धनराशि नगद रूप में मान्य नहीं होगी।
2. बोलीदाता को अपनी फोटो पहचान–पत्र, निवास स्थान, कार्यालय के पते तथा दूरभाष संख्या नोटरी से सत्यापित कराकर नीलामी के दिन निर्धारित समय तक प्रस्तुत करना होगा।
3. बोलीदाता को अपना फर्म का इनकमटैक्स का पैन नम्बर तथा व्यापार कर में रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति भी जमा करना अनिवार्य होगा। इनकमटैक्स व व्यापार कर का रजिस्ट्रेशन न होने पर बोली में भाग नहीं लिया जा सकेगा।
4. नीलामी निर्धारित तिथि को गठित समिति के समक्ष की जायेगी।
5. उपरोक्त जीप संख्या–UGI 4457 जहाँ भी है, जैसे भी है के आधार पर नीलामी की जायेगी।
6. नीलाम की जाने वाली जीप संख्या–UGI 4457 केन्द्रीय भण्डार, कैम्पस, बाईबाग पुवायाँ रोड, नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर में उपलब्ध है का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता (केन्द्रीय भण्डार) से सम्पर्क कर किया जा सकता है।
7. अधिकतम बोलीदाता को बोली मूल्य का 25 प्रतिशत (धरोहर धनराशि शामिल करते हुये) तुरन्त जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. विक्रय किये गये आवेदन–पत्र का मूल्य वापस नहीं किया जायेगा।
9. सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये नीलमी को निरस्त करने का अधिकार होगा।

(शिवजीत सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर

निष्प्रयोज्य जीप की नीलामी की अन्य शर्तेः–

1. बोलीदाता के अलावा अन्य किसी बाहरी व्यक्ति का नीलामी स्थल में प्रवेश वर्जित रहेगा।
2. नीलामी की स्वीकृति विभाग/शासन स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी। जिन्हे बिना कारण बताये नीलामी स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने की सूचना प्रेषण के पन्द्रह दिवस के अन्दर अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि जमा करना होगी। तदोपरान्त 15 दिवस के अन्दर अधिशासी अभियन्ता के लिखित आदेश पर जीप उठानी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में 75 प्रतिशत धनराशि जमा न करने पर पूर्व में जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
3. उच्चतम बोली बोलने वाले को कुल बोली मूल्य पर जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा बोली अस्वीकृत होने पर 25 प्रतिशत जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी।
5. नीलामी हेतु जीप जहाँ है जैसे भी स्थिति में, प्रदान किया जायेगा। बोली स्वीकृत के पश्चात् नीलाम जीप के सम्बन्ध में कोई शिकायत स्वीकार्य नहीं होगी।
6. उच्चतम बोलीदाता द्वारा नीलामी के अनुमोदन होने एवं जीप उठाने तक दर्शित जीप की सुरक्षा प्रबन्ध स्वयं करनी होगी।
7. नीलामी की समस्त प्रक्रिया वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्डः5 के पैरा 260 ए एपेन्डिक्स एक्स आई एक्स डी के अन्तर्गत की जायेगी।
8. विशेष शर्ते खण्डीय कार्यालय में उपलब्ध है।

(शिवजीत सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, शाहजहॉपुर

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांक :–　　　/नखशा/नीलामी/2017–18/　　　दिनांक :–

विषयः– निष्प्रयोज्य जीप संख्या–UGI 4457 की सार्वजनिक नीलामी हेतु सूचना प्रकाशन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस खण्ड के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य जीप संख्या–UGI 4457 की सार्वजनिक नीलामी दिनांकः– 27.07.2017 को होना निर्धारित की गई थी, परन्तु किसी भी बोलीदाता द्वारा नीलामी में भाग न लेने के कारण जीप की नीलामी नहीं हो सकी। अतः उक्त जीप की नीलामी हेतु नीलामी की तिथि–04.01.2018 समय 2:00 बजे निर्धारित की जाती है। जिसके प्रकाशन हेतु नीलामी सूचना 5 प्रतियों में सी0डी0 सहित संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि इस सूचना को हिन्दी के दो एवं अंग्रेजी के एक सर्वाधिक पढ़े जाने वाले प्रमुख समाचार पत्रों मे एक दिन के अन्तराल से दो बार प्रकाशन कराने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(शिवजीत सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड, शाहजहॉपुर

पत्रांक :–　　　/नखशा/नीलामी/　　दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य अभियन्ता (नलकूप–मध्य), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, बरेली को उनके पत्रांक–2556/नमब/वाहन नीलामी/ दिनांक–20.05.2017 के क्रम में।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सूचना प्रणाली केन्द्र/कम्प्यूटर सेन्टर प्रभारी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिं0वि0, उ0प्र0, लखनऊ (सी0डी0 सहित)
4. जिलाधिकारी महोदय, जनपद शाहजहॉपुर।
5. सम्भागीय परिवाहन अधिकारी, शाहजहाँपुर।
6. सहायक अभियन्ता, चतुर्थ एवं अवर अभियन्ता (केन्द्रीय भण्डार) को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।
7. नोटिस बोर्ड।

(शिवजीत सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड, शाहजहॉपुर